भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2365 का उत्तर

बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन

2365. श्री शिवेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के कैमूर जिले में स्थित "भभुआ रोड रेलवे स्टेशन" का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल के नाम पर "माँ मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन" करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय की स्थापित प्रक्रिया के तहत इस विशिष्ट प्रस्ताव की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इस नामकरण परिवर्तन को कब तक अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): वर्तमान में, गृह मंत्रालय से भबुआ रोड रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए रेल मंत्रालय की टिप्पणियां/विचार मांगने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भारतीय रेल के किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देता है।

गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, संबंधित राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद, संबंधित क्षेत्रीय रेल रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन को लागू करती है।
